न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0नं0 - 118/2017 (2017/00339)

1. दुलीचन्द पुत्र श्योनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. शिवकुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. छाजुराम पुत्र श्योप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सन्तोष पत्नि गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. रामप्यारी पत्नि चिमनाराम जाति ब्राहम्ण निवासी निराधना तहसील मलसीसर जिला झुन्झूनू (राजस्थान)

–असल प्रतिवादीगण

4. चन्दुलाल पुत्र श्योनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. घनश्याम पुत्र श्योनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. चिरंजीलाल
7. प्रहलाद

पि0 श्योनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

8. बाधो बेवा मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) फौत
9. जगदीश
10. श्यामलाल

पि0 मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

11. शिवनाथ
12. भागीरथ

पि0 मनीराम जाति ब्राहमण नि0 भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

13. सदभामा
14. सावित्री
15. श्योबाई
16. रामी
17. शिवदर्शना

पुत्रियान मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा। जिला हनुमानगढ़।

18. नारायणी
19. बिमला

पुत्रियां श्योनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–असल प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडू : वादीगण
वकील श्री खेताराम कस्वां : प्रतिवादी सं0 11

निर्णय दिनांक : 12.10.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण दुलीचन्द वगैरह ने एक घोषणात्मक वाद दुलीचंद वगैरह बनाम छाजूराम वगैरह दिनांक 07.10.1998 को रोही मौजा भनाई के खाता सं0 303 की 34 बीघा 16 बिस्वा बारानी खातेदारी कृषि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भूमि बाबत न्यायालय हाजा में पेश किया था। मुताबिक वाद गणेशीराम के चार पुत्र श्योकरण, राजकरण, उदमी, पुराराम थे। राजकरण ने अपने जीवनकाल में अपने भाई उदमीराम के लड़के श्योकरण को दतक गृहण किया, इस प्रकार उदमीराम के परिवार से श्योप्रसाद का नाता हमेशा के लिए टूट गया तथा श्योप्रसाद का नया जन्म राजकरण की चल व अचल सम्पति का वारिस श्योप्रसाद हुआ एवं श्योप्रसाद के एक पुत्र छाजूराम व पुत्रियां सन्तोष, रामप्यारी हुई इनका भी उदमीराम के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उदमीराम के चार लड़के थे तथा श्योप्रसाद के दत्तक गृहण में दिए जाने के बाद श्योप्रसाद का उदमीराम के परिवार व सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा उदमीराम के तीन पुत्र हनुमान, श्योकरण व मनीराम हुवे। हनुमान आजीवन कुंवारा था तथा उसके कोई औलाद नहीं थी तथा हनुमान के मृत्यु के समय 72–1/2 हिस्सा कृषि भूमि थी तथा हनुमान ने उक्त भूमि की अपने जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की थी यानि हनुमान निर्वसीयत फौत हो गया था हनुमान का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी माता पिता भाई बहन जिवित नहीं था इसलिए मृतक हनुमान की सम्पति उसके द्वितीय श्रेणी के उतराधिकारियों को जायेगी इसलिए द्वितीय श्रेणी के चौथी प्रविष्टि के उतराधिकारी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0 4 से 20 है। प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाज कर खिलाफ कानून नाजायज तरीके से मृतक हनुमान के हिस्से की 24–1/6 हिस्सा भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली।

उक्त वाद में दिनांक 24.02.2009 को वाद के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं होने के कारण तथ्यों व दस्तावेजों के अभाव में गुणावगुण के आधार पर निर्णय सम्भव नहीं है का हवाला देते अदालत हाजा द्वारा वाद वादीगण खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर वादीगण दुलीचन्द वगैरह ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां एक अपील, अपील सं0 37/2009/223 आरटीए पेश की जिसें अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली नम्बर पर ली गई। वादीगण की ओर से वकील श्री रामस्वरूप देहडू ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 3 को जरिए रजि0एडी से तलब किया गया कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद में वर्णित हनुमान के हिस्सा की 72–1/2 हिस्सा कृषि भूमि के वादी दुलीचन्द व प्रतिवादी चन्दूलाल, घनश्याम, चिरंजीलाल, प्रहलाद, नारायणी, बिमला संयुक्त रूप से 36–1/4 हिस्सा के एवं वादी शिवकुमार व प्रतिवादी जगदीश, श्यामलाल, शिवनाथ, भागीरथ, सदभामा, सवित्री, श्योबाई, रामी, शिवदर्शना, संयुक्त रूप से 36–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा वर्णित भूमि में छाजूराम, संतोष, रामप्यारी का कोई हक हिस्सा नहीं है। इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त कर प्रतिवादी सं0 1 ता 3 छाजूराम, सन्तोष, रामप्यारी का नाम कलमजन कर रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने के कानूनी अधिकारी है ?

— वादीगण

2. अनुतोष ?

साक्ष्य वादीगण में वादी दुलीचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि मतदाता सूचि प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई सम्वत् 2050 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई सम्वत् 2037 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
पीलीबंगा (जिला-हनुमानगढ़)

सम्वत् 2042 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये एवं चित्रप्रति नामान्तरकरण एजि0 सं0 442 ग्राम भनाई की पेश की। इसके अलावा प्रदर्श 1 व 2 पुर्व में पेश किये जा चुके है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि गणेशीराम के चार पुत्र श्योकरण, राजकरण, उदमी, पुराराम थे। राजकरण ने अपने जीवनकाल में अपने भाई उदमीराम के लड़के श्योकरण को दतक गृहण किया था,इस प्रकार राजकरण की चल व अचल सम्पति का वारिस श्योप्रसाद हुआ एवं श्योप्रसाद के एक पुत्र छाजूराम व पुत्रियां सन्तोष, रामप्यारी हुई इनका भी उदमीराम के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। उदमीराम के चार लड़के थे तथा श्योप्रसाद के दत्तक गृहण में दिए जाने के बाद श्योप्रसाद का उदमीराम के परिवार व सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा तथा उदमीराम के तीन पुत्र हनुमान, श्योकरण व मनीराम हुवे। हनुमान आजीवन कुंवारा था तथा उसके कोई औलाद नहीं थी तथा हनुमान के मृत्यु के समय 72–1/2 हिस्सा कृषि भूमि थी। हनुमान का प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी माता पिता, भाई–बहन जिवित नहीं था, मृतक हनुमान की सम्पति उसके द्वितीय श्रेणी के उतराधिकारी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0 4 से 20 मे बंट जानी थी। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाज कर खिलाफ कानून नाजायज तरीके से मृतक हनुमान के हिस्से की 24–1/6 हिस्सा भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 11 की ओर से वकील श्री खेताराम कस्वां ने उपस्थित आकर जाहिर किया कि मृतक हनुमान की सम्पति उसके द्वितीय श्रेणी के उतराधिकारी वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0 4 से 20 मे बांटी जाती है तो प्रतिवादी 11 उक्त डिक्री से सहमत है।

हमने वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम भनाई के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि का रिकार्ड दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में एक तनकी कायम की गई है जिसका निर्णय इस प्रकार से है :–

तनकी सं0 1 यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 5 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भनाई में वाद कृषि भूमि में हनुमाननाथ व श्योनारायण पि0 उदमीराम के नाम से 145 हिस्सा व मनीराम के वारिसान के नाम से 72–1/6 हिस्सा दर्ज है। उसके बाद की जमाबन्दी प्रदर्श 4 में पूर्व की प्रविष्टियों में उदमी के तीनों वारिस श्योनारायण, मनीराम व हनुमाननाथ में श्योनारायण के वारिसान के नाम 72–1/6 हिस्सा, मनीराम के वारिसान के नाम 72–1/6 हिस्सा व हनुमाननाथ के नाम 72–1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था किन्तु हनुमान की मृत्यु हो जाने के बाद विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय हनुमाननाथ का 72–1/6 हिस्सा, छाजूराम वल्द श्योप्रसाद, संतोष, रामप्यारी पुत्रिया श्योप्रसाद के नाम 24–1/6, मु0बादो बेवा मनीराम, जगदीश, श्यामलाल, श्योनाथ, शिवकुमार, भागीरथ पि0 मनीराम, सावत्री, सदभामा, श्योबाई, रामी, दर्शना, पुत्रियान मनीराम के नाम 24–1/6 हिस्सा, चन्दुलाल, दुलीचन्द, घनश्याम, चीरंजीव, प्रहलाद पि0 श्योनारायण, नारायणी, विमला पुत्रियान श्योनारायण के नाम 24–1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मेंदर्ज कर दिया गया जो कि नामा0रजि0सं0 442 व प्रदर्श 4 के अवलोकन से साबित है। नामान्तकरण दर्ज करते समय छाजूराम के नाम से भी 24–1/6 हिस्सा गलत तोर पर दर्ज कर दिया गया जबकि उदमी के वारिसान के तीनों वारिसान की कृषि भूमि में छाजूराम का कोई हक हिस्सा नहीं बनता था। वादीगण के दावा का प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन पेश नहीं किया है तथा वादीगण

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से अवलोकन से वादीगण तनकी सं0 1 साबित करने में सफल रहे है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

हस्तगत वाद में एक ही तनकी कायम की गई थी जो वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है।इस प्रकार वाद वादीगण साबित होने के करण डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 303 के खसरा सं0 449 की 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 457 की 9–15 बिघा, खसरा सं0 458 की 9–0 बीघा, खसरा सं0 459 की 4–0 बिघा, खसरा सं0 476 की 0–8 बिघा, खसरा सं0 477 की 6–07 बीघा, कुल 34 बिघा 16 बिस्वा बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से छाजूराम वल्द श्योप्रसाद, संतोष, रामप्यारी पुत्रिया श्योप्रसाद के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 442 दिनांक 04.08.1996 को जो 24–1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है से छाजूराम वल्द श्योप्रसाद, संतोष, रामप्यारी पुत्रिया श्योप्रसाद का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं0 1 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 4 से 7 व 18, 19 संयुक्त रूप से 12–1/12 हिस्सा व वादी सं0 2 व तरतीबी प्रतिवादी सं0 9 से 17 संयुक्त रूप से 12–1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राज.)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़